आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1974

अर्चना पुरी से पहले। जे.

जीत बिन एलियास जे. ई. वी. ए. एन. और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

अजय कुमार और अन्य-उत्तरदाता 2015 का एफ. ए. ओ. सं. 6890

29 नवंबर, 2022

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. 166, 173-55 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मृत्यु; मात्रा; निर्भरता का नुकसान; संघ का नुकसान; गुणक; मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस। 66 (1)-माल ले जाने वाला वाहन-रूट परमिट; निःशुल्क यात्री; बीमा कंपनी को वसूली अधिकार; जहां सकल वाहन का वजन 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है, वहां परमिट की आवश्यकता नहीं है। दावेदारों की प्रतिपरीक्षा, एफ. आई. आर. की सामग्री-नीति के नियमों और शर्तों की पहुंच। मान लिया कि उसी के आलोक में, प्रासंगिक समय पर बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था। सटीक रूप से, इस खाते पर, बीमा कंपनी को मुआवजे के भुगतान के अतिरिक्त दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और इस तरह, एकता ठाकुर, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए (एफएओ-6890-2015 में) और उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 से 3 (एफएओ-8293-2015 में)। बीमा कंपनी के पास वाहन के मालिक से वसूली का अधिकार है।

(पैरा 18) R.N.Singal, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए (एफ. ए. ओ.-8293-2015 और एफ. ए. ओ.-8294-2015 में) और प्रत्यर्थी संख्या 3 (एफ. ए. ओ.-6890-2015 में)।

(2) चंदू भाई बेन और उनकी बेटी की मृत्यु के संबंध में दो दावा याचिकाओं का फैसला आम पुरस्कार द्वारा किया गया था। (3) चन्दु भाई बेन की मृत्यु के कारण प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने रुपये की सीमा तक मुआवजे का आदेश दिया था। मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जेट के चालक, मालिक और बीमाकर्ता पर लगाया गया था।

1975

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(9) इस पृष्ठभूमि में, चंदू भाई बेन की मृत्यु के लिए मुआवजे पर अब फिर से मूल्यांकन की आवश्यकता है। (10) अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि मृतक चंदू भाई बेन दुर्घटना के समय 55 वर्ष के थे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1976

1 2009(3) आर. सी. आर. (सिविल) 77

2 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009 3 2009 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 77 जीत बिन एलियास जीवन और अन्य बनाम अजय कुमार और

1977

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

(15) आगे बढ़ते हुए, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि उल्लंघन करने वाला वाहन एक 'माल परिवहन वाहन' था और इसलिए, इसके लिए अनुमति की आवश्यकता थी। हालांकि, इसे बिना किसी रूट परमिट के चलाया जा रहा था।

4 2018(18) एस. सी. सी. 130 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1978

(16) जहां तक रूट परमिट की आवश्यकता के संबंध में प्रस्तुत करने का संबंध है, इस संबंध में, बीमा कंपनी के कहने पर इस प्रकार प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 (1) के अनुसार, परमिट की आवश्यकता नहीं है, जहां वाहन का सकल वजन 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। तथापि, जैसा कि अभिलेख पर आने वाले दस्तावेजों से स्पष्ट है, उल्लंघन करने वाले वाहन का वजन अपेक्षित सकल भार से अधिक नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत प्रदान किया गया है और उसी को देखते हुए, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है। (17) हालाँकि, मुझे बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा की गई दूसरी प्रस्तुति में बल मिलता है। हालाँकि, दलीलों के दौरान, अपीलकर्ताओं-दावेदारों के विद्वान वकील ने निवेदन किया था कि मृतक बिक्री के लिए पुराने कपड़ों के साथ, अपमानजनक वाहन में जा रहे थे और उन्हें 'सामान' के साथ ले जाया जा सकता है और इसलिए, उन्हें अनावश्यक यात्रियों के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह निवेदन अच्छा नहीं है। यह उल्लेख करना उचित है कि अभिवचनों में, हालांकि, यह दावा किया गया है कि मृतक पुराने कपड़ों की बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लिप्त था, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया था कि दोनों मृतक संबंधित समय पर 'सामान' यानी बिक्री के लिए पुराने कपड़ों के साथ यात्रा कर रहे थे। हालांकि, दोनों गवाहों यानी पीडब्लू-1 मनु भाई और पीडब्लू-2 अशोक कुमार ने अपने-अपने हलफनामों में मृतक के पुराने कपड़ों की बिक्री और खरीद के व्यवसाय में शामिल होने के बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामों में कभी भी मृतक के सामान के साथ यात्रा करने के संबंध में नहीं कहा था। जिरह में यह सामने आया है कि वे कपड़ों सहित उक्त वाहन में यात्रा कर रहे थे। भले ही ऐसा हो, लेकिन पीडब्लू-1 मनु भाई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की सामग्री का संदर्भ देना उचित है, जिसे Ex.P1 के रूप में साबित किया गया है। उक्त दस्तावेज़ के बारीकी से अवलोकन से पता चलता है कि मनु भाई, जो लेखक हैं, ने कहा था कि वे सभी पुराने कपड़ों की बिक्री और खरीद का व्यवसाय कर रहे थे और उस दिन (दुर्घटना के दिन), उन्हें दौन (मोहाली) जाना था और वे बिक्री के लिए पुराने कपड़ों की गांठें ले रहे थे।

उन्होंने ड्राइवर अजय जीत बिन एलियास जेवान और अन्य बनाम अजय कुमार और

1979

अन्य (अर्चना पुरी, जे.)

दिव्या सरूप 5 2008(2) टीएसी 374